समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

-: आम-सूचना :-

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 2523 दिनांक 23.11.2015 के आलोक में गोड्डा जिला के बाल विकास परियोजना पोड़ैयाहाट हेतु 285, गोड्डा ग्रामीण हेतु 280 एवं सुन्दरपहाड़ी हेतु 124 आंगनबाड़ी केंद्रों में 3000/- प्रतिमाह देय मानदेय पर अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका-सह पोषण परामर्शी का चयन हेतु दिनांक 21.12.2015 से 31.12.2015 तक ग्राम सभा में आवेदन प्राप्त किये जायेगें। निदेशानुसार उक्त ग्राम सभा में योग्यताधारी महिलाओं का आवेदन प्राप्त कर उनका सूची तैयार की जायेगी तथा प्राप्त सभी योग्य महिलाओं के आवेदन पत्रों की सूची का अनुमोदन किया जायेगा। ग्राम सभा में अनुमोदित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय चयन समिति के द्वारा मेधा सूची तैयार की जायेगी उक्त मेधा सूची पर आपत्ति आमंत्रित करते हुए प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा। तदोपरांत चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची पर अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चयन पत्र निर्गत करेंगे। आवेदन फार्म उस पोषण क्षेत्र के आँगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सेविका से प्राप्त किया जा सकेगा। यह निःशुल्क होगा। आवेदन फार्म उस पोषण क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका अथवा महिला पर्यवेक्षिका के पास ग्राम सभा के बैठक के पूर्व भी जमा किया जा सकेगा जिसे वे ग्राम सभा के समक्ष रखेंगें।

अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका-सह पोषण परामर्शी का चयन हेतु न्यूनतम योग्यता निम्न प्रकार है :-

1. अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका -सह- पोषण परामर्शी अनिवार्य रूप से 18-35 वर्ष की महिलाएँ होगी जो संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषण क्षेत्र के स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
2. अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका -सह- पोषण परामर्शी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिका (मैट्रिक) उत्तीर्ण है। किन्तु अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसी स्थिति में जहाँ लाभान्वित वर्ग में अपवाद स्वरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिल पा रही है तो उस स्थिति में निर्धारित अधिमान्यता के अन्य बिन्दुओं के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा।
3. अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका -सह- पोषण परामर्शी के पद के लिए गॉव/टोले की बहु एवं विधवा को प्राथमिकता दी जायेंगी। इस पद हेतु निःशक्त महिला का भी चयन किया जा सकता है जो इस पद के कार्य हेतु समर्थ हो। किन्तु उम्र एवं अन्य संबंधित शर्तें भी लागू होगी।
4. विधवा/परित्यकता को इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य नहीं किया जाऐगा कि वे गॉव की बहू नहीं है।
5. अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका -सह- पोषण परामर्शी के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

उक्त चयन हेतु ग्राम सभा की तिथि, चयन से संबंधित विस्तृत सूचना एवं अन्य अहर्ता तथा अधिमान्यता संबंधी प्राप्तांक आदि की विस्तृत जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है तथा गोड्डा जिला के वेवसाईट www.godda.nic.in पर उपलब्ध है।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक–1656/जि0स0क0 गोड्डा/दिनांक–02/12/15

प्रतिलिपि :– जिला जन–सर्म्पक पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के संथाल परगना संस्करण में दो दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना तथा प्रासंगिक संकल्प एवं आवेदन पत्र की प्रति गोड्डा जिला के बेवसाईट www.godda.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोड्डा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन की एक–एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं अपने परियोजना कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसका व्यापक प्रचार– प्रसार करायेंगे। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी विज्ञापन की जानकारी अपने स्तर से प्रखण्ड प्रमुख/संबंधित पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड सदस्य को देना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
गोड्डा।